महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 93वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांकः 05 दिसम्बर, 2017 **समयः प्रातः 11.30 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 93वीं बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को प्रातः 11:30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. भगीरथ सिंह — अध्यक्ष
   कुलपति
2. श्रीमति अलका सिरोही — सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित)
3. प्रो. भरत राम कुम्हर — सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित)
4. प्रो. प्रवीण माथुर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
5. प्रो. भारती जैन — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
6. प्रो. शिव दयाल सिंह — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
7. श्री निर्मल कुमार सेठी — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव-आयोजना के प्रतिनिधि)
8. कुलसचिव — सदस्य सचिव

बैठक में निम्नलिखित अनुपस्थित रहे :

1. श्री शंकर सिंह रावत, विधायक
   (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
2. श्रीमति सुशील कंवर पलाडा, विधायक
   (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
3. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यगणों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 29.08.2016 को सम्पन्न हुई 90वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (90) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2016/22771-82 दिनांक 03.09.16 के द्वारा प्रेषित की गई । किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि चूंकि विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27.08.2016 में चूंकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है परंतु प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 29.08.2016 के निर्णय सं0 30 में "चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने बोर्ड का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया कि विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 27.08.2016 में प्रोफेसर रीटा मेहरा के अमर्यादित व्यवहार व अनावश्यक पत्राचार पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया। इस पर कुछ शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अमर्यादित व अनुचित व्यवहार की प्रवृति की बोर्ड ने निंदा की। " उल्लेखित किया गया है जबकि जैसा कार्यवृत विद्या परिषद का है उसकी ही पुष्टि हेतु मद प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अतः प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 29.08.2016 के निर्णय सं0 30 में से उक्त को विलोपित किया जाता है। कुल सचिव द्वारा उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) के पत्रांक प.12(2)/उ.शि/ग्रुप-5/2017 दिनांक 09.11.17 को BOM के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर BOM द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।	
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 30.05.2017 को सम्पन्न हुई 91वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (91) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2017/21249-256 दिनांक 05.09.17 के द्वारा प्रेषित की गई । किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	निर्णय सं0 2 के "नोट" को छोड़ते हुए शेष की पुष्टि की गयी। निर्णय सं0 2 के नोट के बारे में विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमान्तर्गत कार्यवाही की जावे मात्र परम्परा या प्रेक्टिस को मददेनजर नहीं रखा जावे।	
मद सं. 3	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 31.07.17 को सम्पन्न हुई 92वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (92) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2017/18144-153 दिनांक 11.08.2017 के द्वारा प्रेषित की गई । किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी।	
मद सं. 4	माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:- (1) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ0 रमेश चन्द्र शर्मा (सेवानिवृत्त प्राचार्य) हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुण्डी, अजमेर, निवासी 179-बी, आदर्श नगर, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1	संस्थापन

	( )संस्था./मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19.11.2008 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 (73)संस्था./मदसविवि/2017/7071 दिनांक 12.04.17 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तो.के अध्यधीन शिक्षा विभाग में सेवानिवृत शिक्षक के रूप में 20,000/- प्रति माह पर शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु दिनांक 01.04.2017 से 02 माह हेतु नियुक्ति प्रदान की गई है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/20177954 दिनांक 18.04.2017 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	
निर्णय	**विश्वविद्यालय के नियमानुसार सेवानिवृत शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है तो पुष्टि की जाती है।**	
	(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्यूलेशन 2016 के बिन्दु संख्या 6.0.5.(i) को एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-2/2016(PS)Amendments दिनांक 10-01-2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 10-01-2007 से प्रवृत्त मान्य किये जाने पर अधिसूचना क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2017/3498 दिनांक 22-02-2017 जारी की गयी **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-02)**	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की जाती है।**	
	(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 03.03.2017 को विश्वविद्यालय के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया है । माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन की 05 प्रतियां माननीय मंत्री महोदया उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार के अनुमोदन हेतु दिनांक 11.03.2017 को संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित कर दी गई है एवं राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर वार्षिक प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित कर दी जावेगी । अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 03.03.2017 को प्रदत्त वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन के आदेश एवं वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)**	सामान्य प्रशासन
निर्णय	**पुष्टि की गयी। भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन समय से तैयार कर प्रारूप प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करावें एवं यदि निकट भविष्य में प्रबंध बोर्ड की बैठक नहीं होनी हो तो सर्कुलेशन के आधार पर कार्यवाही कर राज्य सरकार को भिजवावें।**	
	(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ. नवल किशोर उपाध्याय, (सेवानिवृत्त व्याख्याता) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, निवासी 34/181, पाल बीसला, भरोसा अगरबत्ती की गली, अजमेर एवं डॉ0 स्नहेलता शर्मा, सेवानिवृत्त उपाचार्य, र.क.पा. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़ निवास एच-18, माकड़वाली रोड़, इन्द्रपुरी कॉलोनी, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19-11-2008 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन क्रमशः इतिहास विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग में सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में रूपये 20,000/- प्रति माह	संस्थापन

	पर शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु आठ माह हेतु नियुक्ति प्रदान की गई। तद्नुसार क्रमशः कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2016/24927 दिनांक 22-09-2016, एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2016/24933 दिनांक 22-09-2016 जारी किये गये । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)**	
निर्णय	**विश्वविद्यालय के नियमानुसार सेवानिवृत शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है तो पुष्टि की जाती है।**	
	(5) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ. के.सी. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, निवास ए-407, नाका मदार, यू.आई.टी. कॉलोनी, अजमेर का कार्यकाल पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 (73) संस्था/ मदसविवि/ 2015/37774-78 दिनांक 01.12.2015 की निरन्तरता में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/ 2008/51064 दिनांक 19.11.2008 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन वनस्पति विज्ञान विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में मानदेय रूपये 25,000/- प्रति माह पर दिनांक 01.12.2016 से एक वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो तक बढ़ाया गया । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 (73)संस्था/मदसविवि/2016/30615 दिनांक 08.12.2016 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)**	संस्थापन
निर्णय	**विश्वविद्यालय के नियमानुसार सेवानिवृत शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है तो पुष्टि की जाती है।**	
	(6) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रबंध बोर्ड की दिनांक 29 अगस्त, 2016 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्य सूची के मद संख्या 3 के निर्णयानुसार विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर से अनुबन्ध के सम्बन्ध में सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर नवीन समिति का गठन कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/ 2016/24566 दिनांक 19-09-2016 द्वारा किया गया । उक्त कार्यालय आदेश द्वारा गठित समिति के संयोजक डॉ. पी. के. शर्मा, (सदस्य प्रबंध बोर्ड) का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20 मई, 2017 की पालना में डीन, पी.जी. स्टडीज, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को उक्त समिति का संयोजक नियुक्त किया गया तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2017/2100 दिनांक 02-06-2017 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)**	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की गयी परंतु साथ ही प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में एक ही प्रकार के प्रकरण एक साथ प्रस्तुत किये जावें तथा इस प्रकरण से संबंधित अन्य मदों पर निर्णय किया गया कि योग प्रशिक्षकों की अवधि जो दिनांक 12.12.2017 को समाप्त हो रही है, के क्रम में एक माह अथवा आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मद पर होने वाले निर्णय तक वृद्धि करते हुए वांछित प्रक्रिया पूर्ण करावें। बिना सम्पूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वन के अवधि वृद्धि भविष्य में संभव नहीं होगी।**	
	(7) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रो. सतीश अग्रवाल, प्रबन्ध अध्ययन विभाग को दिए गए आरोप-पत्रों में लगाए गए आरोपों की जांच हेतु गठित समिति की अनुशंषा के अनुसार प्रो. सतीश अग्रवाल के विरूद्ध चारों आरोप-पत्र मान्य नहीं है । माननीय कुलपति महोदय के जांच समिति की अनुशंषा के अनुमोदन के पश्चात् प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में प्रकरण को समाप्त किया	संस्थापन

	गया। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2017/ 2077-81 दिनांक 01.06.2017 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)	
निर्णय	प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य प्रस्तुत नहीं होने के कारण मद पर कार्यवाही नहीं की जा सकती साथ ही प्रबंध बोर्ड ने निर्णय किया कि यदि प्रकरण में कुलपति महोदय सक्षम हैं, तो कुलपति अपने स्तर पर कार्यवाही करें प्रबंध बोर्ड के समक्ष मद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।	
	(8) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ0 राजेश कुमार शर्मा (सेवानिवृत व्याख्याता) सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर निवासी 201, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, सिनेवर्ल्ड सिनेमा के पीछे, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19.11.2008 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तो के अध्यधीन हिन्दी विभाग में सेवानिवृत शिक्षक के रूप में रूपये 20,000/-प्रतिमाह पर शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु आठ माह हेतु नियुक्ति प्रदान की गई । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2016/24491 दिनांक 17.09.2016 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-8)	संस्थापन
निर्णय	विश्वविद्यालय के नियमानुसार सेवानिवृत शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है तो पुष्टि की जाती है।	
	(9) प्रतिवेदन है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की प्रयोगशालाओं के उपयोग के लिए प्रतिष्ठित उत्पादनकर्ताओं (जिनके पास राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त हैं) अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से रसायन, काँच, प्लास्टिक उत्पादों (स्थाई सामान जैसे उपकरण एवं मशीनों को छोड़कर) वर्ष मार्च 2017 से मार्च 2018 तक आपूर्ति हेतु अनुमानित लागत लगभग 15.00 लाख के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई-निविदा सूचना संख्या 25 दिनांक 27.02.2017 को आमंत्रित की गई थी। निविदा प्रपत्र व समस्त शर्तें व प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेब साईट www.mdsuajmer.ac.in तथा राज्य सरकार की वेब साईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराई गई थी। राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40 के अनुसार तकनीकी बोली के खुलने कि तिथि से 60 दिन के भीतर निविदा पर निर्णय लिये जाने का प्रावधान है। परन्तु प्रकरण में विश्वविद्यालय के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद निरीक्षण दल विश्वविद्यालय में आने व उसकी तैयारी मे व्यस्तता रहने व तकनीकी समिति के संयोजक के अस्वस्थ होने के कारण तकनीकी बिड के मूल्यांकन में विलम्ब हुआ तथा तकनीकी बिड की समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 06.06.2017 को सामान्य प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत की गई। उक्त विलम्ब अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों के तहत होने के कारण उक्त नियमों के तहत क्रय समिति विहित 60 दिन की समयावधि को शिथिल करने की सक्षमता प्रबन्ध बोर्ड में विहित होने के कारण एवं प्रबन्ध बोर्ड की बैठक निकट भविष्य में आयोजित न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निविदाओं के निस्तारण में विलम्ब न हो, को मध्यनजर रखते हुए	सामान्य प्रशासन

	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत माननीय कुलपति महोदय को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विहित समयावधि में शिथिलता करने एवं तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाई गई फर्मो की वित्तीय बिड के लिफाफे विश्वविद्यालय क्रय समिति की दिनांक 16.06.2017 की बैठक में खोले गये। अतः माननीय कुलपति महोदय के तकनीकी बिड के वैद्यता की अवधि वृद्धि के संबंध में प्रदत्त आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रकरण में कुलपति महोदय सक्षम हैं तो फिर प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष लाने का क्या औचित्य है। यदि कुलपति सक्षम नहीं हैं तो पुष्टि की जाती है।**	
	(10) <u>प्रतिवेदन है कि</u> सचिव, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक No. F1 (46) (F) RB/ 2015/4402 दिनांक 06 जून, 2017 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित समान अवकाश कलैण्डर 2017-18 अंगीकृत किये जाने के निर्देशों की अनुपालना में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा तुरत प्रभाव से विश्वविद्यालय में मॉडल अवकाश कैलेण्डर 2017-18 अंगीकृत एवं प्रभावी किये जाने के दिनांक 30.08.2017 के आदेशों की अनुपालना में पूर्व में वर्ष- 2017 की अवकाश सूचि के सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 4416 दिनांक 14.03.2017 को तुरंत प्रभाव से निरस्त करते हुए दिनांक 01,सितम्बर, 2017 से विश्वविद्यालय में मॉडल अवकाश कैलेण्डर के अनुसार अवकाश कलैण्डर 2017-18 अंगीकृत एवं प्रवृत किया गया। इस संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक 21112 दिनांक 04.09.2017 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-09)**	सामान्य प्रशासन
निर्णय	पुष्टि की गयी।	
	(11) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 एवं 2018-19 हेतु परीक्षा कार्य जिसमें परीक्षा पूर्व, परीक्षा पश्चात्, उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग, डीकोडिग तथा डिग्री लेखन आदि कार्य के लिये निर्धारित प्रपत्र में ऑन-लाईन ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से जारी निविदा सूचना संख्या 1 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा ई-निविदायें आमंत्रित की गयी थी। जिसके क्रम में निम्नलिखित फर्मों से ई- निविदायें प्राप्त हुयी :- 1. M/s Micronic Infotech Service Pvt. Ltd. 444/10, Opp. Kamala Nehru TB Hospital, Ajmer 2. M/S Learning Spiral Pvt. Ltd. 3 A, Aukland Place 5th Floor , Suite 5 B, Kolkata. क्रय समिति की बैठक दिनांक 05.08.2017 को आयोजित की गयी थी जिसमें तकनीकी समिति की दिनांक 19.07.2017 की रिपोर्ट के आधार पर एक मात्र योग्य पाई गई फर्म M/S Micronic Infotech Service Pvt. Ltd. 444/10, Opp. Kamala Nehru TB Hospital, Ajmer की वित्तीय बीड़ पोर्टल से खोली गयी। जिसमें फर्म ने सत्र 2017-18 एवं 2018-19 हेतु परीक्षा कार्य जिसमें परीक्षा पूर्व,	सामान्य प्रशासन

	परीक्षा पश्चात्, उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग, डीकोडिग तथा डिग्री लेखन आदि कार्य के लिये समस्त कर सहित कुल राशि रू0 1,42,35,000/- अंकित की गई। क्रय समिति द्वारा उक्त कार्यों हेतु प्राप्त दर गत वर्ष की तुलना में अधिक होने के कारण संवेदक से नेगोसिएशन वार्ता की गई। संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा नेगासिएशन में रू0 1,42,35,000/- के स्थान पर रू0 1,39,75,000/- समस्त कर सहित पर सहमति प्रदान करने के आधार पर एवं समिति को उक्त दर उचित होने के कारण M/S Micronic Infotech Service Pvt. Ltd. 444/10, Opp. Kamala Nehru TB Hospital, Ajmer को अनुमोदित किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी। उक्त कार्य की एकल निविदा होने के कारण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के नियम 2013 के नियम 68 के अनुसार प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है। प्रबंध बोर्ड की बैठक आयोजित होने में समय लगने के कारण व परीक्षा कार्य अति-आवश्यक होने से विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय को प्रदत्त शक्तियों के तहत् क्रय समिति की दिनांक 05.08.2017 की बैठक की अनुशंसाओं के कार्यवृत्त का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 12.08.2017 को प्रदान किया गया। जिसकी अनुपालना में परीक्षा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित फर्म को कार्यादेश क्रमांक 66593 दिनांक 16.08.2017 जारी किया गया **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-10)** ।	
निर्णय	**दो फर्मों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गयी परंतु एक ही फर्म तकनीकी बिड में योग्य पायी गयी एवं फर्म को स्कोप ऑफ वर्क्स तथा जीएसटी आदि को जोड़ते हुए प्रति छात्र रू. 21.50 से ही फर्म को भुगतान किया जावे ना कि लगभग राशि में साथ ही कार्यादेश देने की पुष्टि की गयी।**	
	(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम-1998 के नियम 30 (2) की अनुसूची IV में अनुभागाधिकारी, स्टेनोग्राफर ग्रेड-1, वरिष्ठ सहायक/ अकाउण्टेंट, सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर, वरिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ लिपिक कम टाइपिस्ट, प्रबन्धक-गेस्ट हाउस, मशीन ऑपरेटर, कुक, वेटर और गेम्स बॉय के पदों हेतु गठित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के गठन में आंशिक संशोधन करते हुये सदस्य सचिव के रूप में उप कुलसचिव संस्थापन को उप कुलसचिव (संस्थापन)/ सहायक कुलसचिव (संस्थापन) से प्रतिस्थापित किया जाता है एवं टेलीफोन आपरेटर की चयन समिति में उप कुलसचिव-सामान्य प्रशासन को उप कुलसचिव या सहायक कुलसचिव-सामान्य प्रशासन से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2016/3426 दिनांक 18.05.2016 जारी की गयी **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-11)**	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गयी।	
	(13) <u>प्रतिवेदन है कि</u> प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 31.08.2015 के निर्णय सं. 4(5) की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ.14(51)शैक्ष.II / मदसविवि/ 2012/2616 दिनांक 28.07.2015 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांकः 33731-4030 दिनांक 28.09.2016 में महाविद्यालयों को अतिरिक्त विषय की स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप माननीय कुलपति महोदय के विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(4) में प्रदत्त आदेशों के	शैक्षणिक-II

	अनुसरण में विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए में निम्नानुसार प्रावधान सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधित आदेश क्रमांकः एफ.14 ( )शैक्ष.ा/ मदसविवि/2012/19804 दिनांकः 17.08.2017 जारी किया गया (कार्यसूची का परिशिष्ठ-12) ।	
निर्णय	पुष्टि की गयी।	
मद सं. 5	राजकीय विश्वविद्यालयों में समान मॉडल ऐकेडेमिक कलैण्डर लागू करने एवं राजपत्रित अवकाशों के कलैण्डर लागू करने के संबंध में कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29.01.2016 में लिये गये निर्णय संख्या 4 (G) की पालना में उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किए गए समान मॉडल ऐकेडेमिक कलैण्डर एवं विश्वविद्यालयों में राजपत्रित अवकाशों एव मॉडल कलैण्डर के संबंध में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के द्वारा अपने पत्रांक एफ.1(46)(एफ)आर.बी/2015/6534 दिनांक 04.08.2016 के द्वारा मॉडल कलैण्डरों का अध्ययन कर सुझाव एवं टिप्पणी दिनांक 13.08.2016 तक आमंत्रित की गई थी। उक्त कलैण्डरों को प्रबन्ध बोर्ड की 86 वीं बैठक दिनांक 09 जून 2016 के निर्णय संख्या 13 के तहत इस हेतु गठित समिति के समक्ष दिनांक 12.08.2016 को प्रस्तुत किया गया । समिति ने अपनी दिनांक 12.08.2016 की बैठक की अनुशंषा में समान मॉडल ऐकेडेमिक कलैण्डर 2016-17 का अवलोकन किया एवं उपयुक्त पाया। समिति ने मॉडल अवकाश कलैण्डर 2016-17 का अवलोकन किया एवं विश्वविद्यालय की स्थापना से लागू अवकाश सूची के मिलान करने पर पाया कि विश्वविद्यालय की स्थापना से विश्वविद्यालय में लागू निम्न अवकाशों को मॉडल अवकाश कलैण्डर 2016-17 में सम्मिलित नहीं किया गया है:- 1. नव वर्ष दिवस 2. मकर संक्रांति 3. गणेश चतुर्थी 4. संवत्सरी 5. महात्मा गांधी जयन्ती 6. दुर्गाष्टमी 7. दीपावली अवकाश के तीन दिन (21.10.2016 से 23.10.2016) 8. जिला कलक्टर द्वारा घोषित दो स्थानीय अवकाश अतः इस संबंध में समिति ने यह मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय की स्थापना से उपर्युक्त अवकाश विश्वविद्यालय कर्मचारियों को देय हैं उन्हें मॉडल कलैण्डर में भी यथावत रखा जाना चाहिए अथवा वैकल्पिक रूप से उपरोक्त कम किए गए अवकाशों की एवज में दीपावली अवकाश को यथावत (21.10.2016 से 01.11.2016) रखते हुए शेष कम किए गए अवकाशों की एवज में शीतकालीन अवकाशों को (जो कि वर्तमान में केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लागू हैं) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी देय किए जाने का प्रावधान मॉडल अवकाश कलैण्डर में किया जाना चाहिये जिससे कि विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों में रोष एवं असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो। समिति की अनुशंषा एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विशेषाधिकारी,	सामान्य प्रशासन

	उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को विश्वविद्यालय पत्र क्रमाक 21492 दिनांक 13.08.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय के सुझाव से अवगत करा दिया गया। इस संबंध में सचिव, माननीय कुलाधिपति महोदय ने अपने पत्र क्रमांक अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ.1(46)(डी) आरबी/2015/ दिनांक 19 सितम्बर, 2016 के द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय राजस्थान के द्वारा अनुमोदित मॉडल अवकाश कलैण्डर का प्रारूप संलग्न कर अनुपालना हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया है कि संलग्न मॉडल अवकाश कलैण्डर की कठोर पालना (Strict compliance) की जाये। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-13)** अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**मद वापिस लिया गया।**	
मद सं. 6	सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1 (46)(F) आर.बी./2015/4402 दिनांक 06.06.2017 के द्वारा सत्र 2017-18 से समस्त राज्य के विश्वविद्यालयों (State Unversities) में मॉडल अवकाश कलैण्डर सत्र 2017-18 (Model Holiday Calendar) लागू किये जाने बाबत् प्राप्त हुआ है । उक्त मॉडल अवकाश कैलेंडर माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय से अनुमोदित है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 18.02.17 के आदेशानुसार राजभवन से प्रेषित अवकाश कैलेण्डर को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड में रखा जाना है । प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय तक अंतरिम रूप से विश्वविद्यालय में प्रचलित अवकाश रखें जाने के आदेशों की अनुपालना में विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यालय आदेश क्रमांक 4416 दिनांक 14.03.2017 के तहत जनवरी, 2017 से दिसम्बर 2017 तक वर्ष 2017 की अवकाश सूची लागू है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-14)** अतः माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 18.02.17 के आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ एवं माननीय राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्रांक 4402 दिनांक 06.06.2017 के साथ संलग्न अवकाश कैलेण्डर 2017-18 एवं उसमें अंकित कार्यालय समय सारिणी एवं दर्शाये गये बिन्दु क्रमांक 01 से 07 प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	**प्रकरण में कमेटी का गठन किया जाकर एवं निर्णय किया कि कमेटी की अनुशंषाएँ प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जावें।**	
मद सं. 7	राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर ने एक अधिसूचना दिनांक 24 मई 2017 जारी की है जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक (Rajasthan Gazette- Extraordinary) में दिनांक 25 मई 2017 को हुआ है। उक्त अधिसूचना के अनुसार तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर के न्यायालय और अन्य समान न्यायालय इत्यादि में पैरवी हेतु प्रति प्रकरण राशि रू.6000/- और इस विहित फीस के	विधि अनुभाग

	अतिरिक्त रू.1000/- व्यय प्रति प्रकरण मंजूर किया गया है। इसी प्रकार कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अपील प्राधिकरण के न्यायालय और अन्य समान अधिकरण/ न्यायालयों में पैरवी हेतु रू.9000/- प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त रू.1000/- व्यय प्रति प्रकरण मंजूर किए गए हैं। जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अपर जिला और सैशन न्यायाधीश के न्यायालय में पैरवी हेतु रू.13500/- प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त रू.1000/- व्यय प्रति प्रकरण तथा उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु रू.16500/- प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त रू.2000/- व्यय प्रति प्रकरण का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई महत्वपूर्ण प्रकरण हो जिसमें विधिक व्यवसायी को अधिक फीस संदाय करने की अपेक्षा हो तो वहाँ सक्षम अधिकारी जहाँ वे ठीक समझें, वृद्धि कर सकते हैं। अतः उक्त अधिसूचना में निर्धारित अधिवक्ताओं की फीस को विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ताओं के लिए समान रूप से अधिसूचना की तिथि से लागू किए जाने का प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रबंध बोर्ड में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के पैनल अधिवक्तागण जो राजकीय अभिभाषकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित पात्रता रखते हैं, संशोधित शुल्क प्राप्त करने के पात्र माने जाएंगे।**	
मद सं. 8	प्रबन्ध बोर्ड की 79वीं बैठक दिनांक 03.12.2012 के मद संख्या 04 में विशेष योग्यजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2011 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1( )संस्था/मदसविवि/2013/10884 दिनांक 20.03.2013 जारी किया गया । संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प 18 (2) शिक्षा-4/2017 विविध/जयपुर दिनांक 10.08.2017 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2017 को दिव्यांगजनों को (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) के तहत नियुक्ति में 05 प्रतिशत आरक्षण करने हेतु पारित आदेश की पालना बाबत् अधिसूचना जारी करने के लिये दिये गये निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय में उक्त प्रावधान मान्य करने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**विश्वविद्यालय में उक्त प्रावधान मान्य करने हेतु स्वीकार किया गया।**	
मद सं. 9	विद्या परिषद की बैठक दिनांक 16.05.2008 में मद सं. 09 पर लिये गये निर्णयानुसार सत्र 2008-09 से परीक्षा शुल्क में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि की जाकर परीक्षा शुल्क का निर्धारण किया जाता रहा है। विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा), राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर से पत्रांकः एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक 21 अगस्त, 2017 के द्वारा समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में समान कोर्सेज के लिये समान परीक्षा शुल्क प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार लिये गये निर्णय से सूचित करते हुए परीक्षा शुल्क की सूची प्रेषित की गई है : **"राजकीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न परीक्षाओं का शुल्क समिति द्वारा प्रस्तावित शुल्क**	**शैक्षणिक-II**

	अनुसार रखा जावे जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावे (कार्य सूची का परिशिष्ठ-15) जो परीक्षाएं संलग्न सूची में सम्मिलित नहीं है उन परीक्षाओं के शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित विश्वविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षा समिति, एकेडमिक काउंसिल, प्रबन्ध मण्डल (जहां भी आवश्यक हो) से स्वीकृति लें, कर सकेंगे, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी।" राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त उक्त दिशा निर्देशों एवं परीक्षा शुल्क सारणी के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 18.09.2017 की अनुशंसायें (कार्य सूची का परिशिष्ठ-16) तथा प्रतिवर्ष परीक्षा शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	पुष्टि की गयी।	

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव